आर.ए.एस.) (राज.)

प्रकरण संख्या 206/2018
जीसीएमएस न0 2018/00624

1. श्रीमति कान्ता बाई पत्नी श्री चम्पालाल जी जाति मीणा उम्र 43 साल निवासी गादोला तह०निम्बाहेडा राज० 9602739593

प्रार्थिया

बनाम

1. मु०कमलाबाई पत्नी गिरधारीलाल जी जाति गुर्जर उम्र 65 वर्ष निवासी बरंडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
2. बुलाकी पत्नी सागरमल जी जाति गुर्जर उम्र 35 वर्ष निवासी बरडा तह० निम्बाहेडा ।
3. नन्दुबाई पत्नी रतनलाल जी जाति गुर्जर उम्र 68 वर्ष निवासी बरडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. श्रीलाल पिता किशनलाल जी जाति जाट उम्र 35 साल निवासी बोरखेडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. राज० सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज०

...विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री एस.एन सालवी – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री आशाराम प्रजापत – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4

::निर्णय::

दिनांक 31.07.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नन्दुबाई की आ0नं0 531/176 रकबा 0.5100 हेक्टर, तथा विपक्षीया बुलाकीबाई की आ०नं0 530/176 रकबा 0.2500 हेक्टर, व विपक्षीया कमलाबाई की आ0नं0 176 रकबा 0.7100 हेक्टर की मेड से होकर ग्राम बोरखे[illegible] स्थित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:38:28 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी की आराजी नं0 1214/491 [illegible] का रास्ता, विपक्षीगण की आराजीयात की मेड से होकर प्रार्थी की आराजी में प्रवेश करता है, यह रास्ता मौके पर करीब 12 फीट चौडाई में होकर इससे प्रार्थी अपने हल बैल गाडी, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर आदि लाता ले जाता है एवं कृषि उपज भी लाता ले जाता हैं तथा उक्त रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं हैं।

Scanned by CamScanner

पर कृषि कर रही हैं। और उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया की आराजी पर पहुँचने के लिये और कोई वैकल्पिक रास्ता कही से भी नहीं है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए. से बी. दर्शाया गया हैं। जिसे विपक्षीगण द्वारा बन्द कर दिये जाने से प्रार्थीया की आराजी वर्तमान में पडत हो गई हैं। जिससे प्रार्थीया को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा हैं। इस कारण न्यायहित में प्रार्थीया को रा०का०अधि० के तहत धारा 251 ए के प्रावधान अनुसार विधिवत उक्त आराजी पर पहुँचने के लिये रास्ता कायम करवाया जाकर प्रार्थीया नाम पर खातेदारी में दर्ज कराया जाना आवश्यक है। यह कि विपक्षी द्वारा वादग्रस्त कदीमी रास्ता अभी दिनांक 15.10.18 को प्रार्थीया को उसकी आराजी में आने जाने के एक मात्र कदीमी रास्ते से होकर निकलने से रोक दिया और रास्ता अवरुद्ध कर दिया, से पैदा होकर यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश हैं।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगणों को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी संख्या 4 की की ओर से अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी क्रमांक 1,2,3 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा ने रिपोर्ट मय मौका इस कार्यालय को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम बोरखेडी के आराजी नम्बर 1214/491 रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि क्रय की गई उक्त आराजी पर आने जाने के लिए सीमा बोरखेडी में सरकारी रेकार्ड एवं मौके पर रास्ता चालु है यहा कोई समस्या नहीं होना बताया तथा ग्राम भादोला की सीमा में भी सरकारी रास्ता दर्ज होकर कोई समस्या नहीं है एवं उसने ग्राम बरडा की सीमा शुरु हो जाती है जो आराजी नम्बर 232,228,194,193 की मेड पर रास्ता निकला हुआ है। उक्त रास्ते पर प्रार्थी की कृषि कार्य हेतु आ जा रही होना बताया है। आराजी नम्बर 193 से आगे आराजी नम्बर 177 जो चरागाह भूमि होने से रास्ता खातेदारी आराजी नम्बर 179 एवं 177 के मध्य होकर आना जाना बताया यहा आने जानें में प्रार्थी को अवरोध समस्या रास्ता सम्बन्धि नहीं होना बताया।

5. प्रार्थी द्वारा बताया की पूर्व में आराजी नम्बर ग्राम बरडा की 176 रकबा 1.47 हैक्टेयर संयुक्त रुप से नाम थी वर्तमान में विभाजन कर कमलाबाई पत्नी गिरधारीलाल गुर्जर आराजी नम्बर 176 रकबा 0.71 हैक्टेयर, नन्दुबाई पत्नी रतनलाल गुर्जर के आराजी नम्बर 531/176 रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि बुलाकी बाई पति सागरमल गुर्जर के आराजी नम्बर 530/176 रकबा 0.25 हैक्टेयर नाम दर्ज है उक्त आराजी की पश्चिम सीमा से ग्राम बोरखेडी की सीमा तक आना जाना पूर्व बताया जो वर्तमान में बन्द है तथा कृषि की जा रही तथा वैकल्पिक रुप से वर्तमान ग्राम बरडा की चरागाह आराजी नम्बर 177 के पूर्व की तरफ नाले के किनारे होकर आते जाते है और जाहिर किया कि बरसात के समय नाले [illegible] है उस वक्त आने जाने में कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थिति में कृषि कार्य हे[illegible] मुश्किल होता है। यदि पूर्व में जो रास्ता चालू था उसको [illegible] पुनः चालू कर खुलवाया जाना चाहा गया एवं [illegible] है उसे जमा कराने को सहमत है। उक्त आराजियात मे रास्ता दिलाया जाने [illegible]स्तावित प्रारुप निम्नानुसार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:38:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी नंबर	रकबा	प्रस्तावित रकबा	डीएलसी दर	राशि
1	नन्दुबाई पत्नी रतनलाल गुर्जर निवासी बरड़ा	531/176	0.51	68x4=272	7760/–	2110
2	कमलाबाई पत्नी गिरधारीलाल गुर्जर निवासी बरड़ा	176	0.71	76x4=314	7760/–	24370
3	बुलाकी बाई पत्नी सागरमल गुर्जर निवासी बरड़ा	530/176	0.25	28x4=112	7760/–	8700
				698वर्ग मीटर		54170रु

दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया

6. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है–

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहाँ
(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या
(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथारिस्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–
और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथारिस्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–
(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–
तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फि[illegible] पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भू[illegible]त करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे [illegible] किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** [illegible] अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, [illegible]धारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप[illegible]ईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:38:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

8. हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि वादग्रस्त आराजी नं0 1214/491 हैक्टेयर प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की चली आ रही है उक्त आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम गादोला से बोरखेड़ी जाने वाले रोड से होकर स्थित हैं, जो कि विपक्षी स. 4 श्रीलाल की आराजी नंबर 175 रकबा 1.9700 हैक्टेयर व विपक्षिया नन्दुबाई की आराजी नंबर 531/176 रकबा 0.5100 हैक्टेयर तथा विपक्षिया बुलाकीबाई की आराजी नंबर 530/176 रकबा 0.2500 हैक्टेयर व विपक्षिया कमलाबाई की आराजी नंबर 176 रकबा 0.7100 हैक्टेयर की मेड़ से होकर ग्राम बोरखेड़ी तक स्थित है । प्रार्थीया की आराजी 1214/491 में आने जाने का रास्ता, विपक्षीगण की आराजियात की मेड़ से होकर प्रार्थी की आराजी में प्रवेश करता है, यह रास्ता मौके पर करीब 12 फीट चौड़ाई में होकर इससे प्रार्थी अपने हल बैल गाड़ी, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर आदि लाता ले जाता है व कृषि उपज भी लाता ले जाता है तथा उक्त रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने से प्रार्थीया अपनी संयुक्त खातेदारी व कब्जे की आराजियात पर आने जाने हेतु रास्ता कायम कराना चाहती है

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया [illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार [illegible] को आदेशित किया जाता है [illegible] बोरखेड़ी पटवार प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त [illegible] की आराजी नंबर हल्का बरड़ा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता [illegible] 337 की 1214/491 रकबा 0.3700 हैक्टेयर भूमि में पहुंचने हेतु ग्राम बोरखेड़ी पटवार हल्का बरड़ा की आराजियात 175, 531/17[illegible]530 /176, 176 में से 12 फिट चौड़ाई कुल 698 वर्ग मीटर भूमि की चौड़ाई का रास्ता कायम किया जायें। इस प्रकार रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. रेट के अनुसार रकबा 698 वर्गमीटर रास्ते हेतु डी.एल.सी. रेट की दोगुनी राशि रू 54170/– प्रार्थीगण से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:38:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वसूल कर विपक्षी क्रमांक 1 से 4 को उनके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जायें। अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि में से उक्त 698 वर्गमीटर भूमि कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जायें। इस रास्ते पर प्रार्थीया का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगे। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। तहसीलदार द्वारा इस बात का ध्यान रखा जावे की विपक्षी क्रमांक 1 से 4 द्वारा क्षतिपूर्ति राशि लेने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे तथा विपक्षी क्रमांक 1 से 4 द्वारा क्षतिपूर्ति राशि नहीं लेने की स्थिति में डिमांड राशि अपने पास जमा रखते हुए राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा को लिखा जावें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी नंबर	रकबा	प्रस्तावित रकबा	डीएलसी दर	राशि
1	नन्दुबाई पत्नी रतनलाल गुर्जर निवासी बरड़ा	531/176	0.51	68x4=272	7760/–	2110
2	कमलाबाई पत्नी गिरधारीलाल गुर्जर निवासी बरड़ा	176	0.71	76x4=314	7760/–	24370
3	बुलाकी बाई पत्नी सागरमल गुर्जर निवासी बरड़ा	530/176	0.25	28x4=112	7760/–	8700
				698वर्ग मीटर	54170रु	

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(विकास पंचौली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:38:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner